

नज़ारत, व्यवहार न्यायालय, गोड्डा
निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2017-18

दूरभाष संख्या 06422-222860, फ़ैक्स - 06422-222005 ईमेल civilcourtgodda123@gmail.com

गोड्डा जिला अंतर्गत व्यवहार न्यायालय, गोड्डा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न प्रकार की सामग्रियां ख़र करने हेतु प्रति इकाई दर पर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा जमा करने का स्थान	नज़ारत, व्यवहार न्यायालय, गोड्डा।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	16.09.2017, शनिवार, अपराह्न 4:30 बजे तक
निविदा खोलने का स्थान	व्यवहार न्यायालय, गोड्डा।
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 16.09.2017 को अपराह्न 1:30 बजे

क्रम सं०	सामग्री का नाम	संख्या (अनुमानित)	दर
1	गोदरेज रिबॉल्टिंग हाई बेक कुर्सी	27 पीस	प्रति अदद
2	गोदरेज इनसाइट टेबल विदआउट ड्रायर	18 पीस	प्रति अदद
3	गोदरेज टेबल टी-104 विथ बोथ साइड ड्रायर	01 पीस	प्रति अदद
4	गोदरेज स्टोरयेल अलमीरा विथ हेगिंग आइरन रॉड	10 पीस	प्रति अदद
5	गोदरेज कुसन बेयर सी.एच.-7बी विथ आर्म	113 पीस	प्रति अदद
6	गोदरेज टेबल टी-9 विथ बोथ साइड ड्रायर	08 पीस	प्रति अदद
7	गोदरेज कम्प्यूटर टेबल	10 पीस	प्रति अदद

निविदा की शर्तें

- निविदादाता के द्वारा अलग-अलग लिफाफों में तकनीकी भाग तकनीकी निविदा के लिफाफों में फार्म एवं प्राधिकृत विक्रेता के द्वारा अग्रघन की राशि, अग्रघन आयकर रिटर्न, बिडीकर, रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्राणित छाया प्रति सलम करना होगा। अन्यथा तकनीकी बीड को रद्द कर दिया जाएगा तथा वित्तीय भाग में सभी सामानों का दर प्रति अदद समर्पित किया जाएगा। तकनीकी भाग खोलने की उपरान्त सभी कामजात सही पाये जाने की विधि में वित्तीय भाग खोला जाएगा। उपरोक्त नियत अवधि के बाद किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता के द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर गठित टेंडर कमेटी व्यवहार न्यायालय, गोड्डा के समक्ष निविदा का निस्तारण किया जाएगा। उस वक़्त टेंडरकारता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- निविदादाता को उक्त सामग्री के आपूर्ति का कम से कम दो वर्षों का अनुभव होने का प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।
- निविदादाता को नोटरी पब्लिक से निर्गत शपथ-पत्र समर्पित करना होगा, जिसमें निविदादाता के द्वारा यह स्पष्ट किया जाएगा कि उनके प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
- सामग्री के दर में सभी प्रकार के कर एवं परिवहन व्यय आदि सम्मिलित कर सामग्री का दर प्रति अदद सभी मिलाकर अंकित करना होगा। अलग से किसी भी प्रकार का कर या राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- सफल निविदादाता के द्वारा आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृत सभी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। एक सप्ताह के अन्दर आपूर्ति न करने पर निविदा रद्द कर दी जायेगी। शर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने या स्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- निविदादाता को सम्बन्धित कम्पनी का प्राधिकृत एजेंसी का प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- सिक्यूरिटी मनी 90,000/- नब्बे हजार रुपये निर्धारित किया गया है। जिसे सफल होने वाले निविदादाता को उसी वक़्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनओसी010 के रूप में प्रभारी न्यायाधीश नज़ारत व्यवहार न्यायालय गोड्डा के नाम से जमा करना होगा।
- निविदादाताओं को झारखण्ड राज्य में वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत निबधित होना आवश्यक है। जिन निविदादाताओं का निबधन झारखण्ड राज्य में नहीं है उन्हें इस आशय का एक Undertaking अपने Letter Head पर देना अनिवार्य होगा कि निविदा में सफल पाये जाने पर झारखण्ड राज्य के वाणिज्य कर विभाग में निबधन कराने के पश्चात् ही भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत करेंगे।
- निविदादाताओं के निविदा के साथ अग्रघन के रूप में 18,000/- अठारह हजार रुपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनओसी010 प्रभारी न्यायाधीश नज़ारत व्यवहार न्यायालय गोड्डा के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
- अग्रघन के रूप में जमा राशि निविदा के अतिरिक्तकरण के पश्चात् असफल निविदादाताओं को वापस कर दी जाएगी।
- आपूर्ति आदेश का उल्लंघन होने पर सिक्यूरिटी मनी की राशि जब्त कर ली जाएगी।

नोट: (1) कार्यालय अवधि में सूचना पेट्ट/कार्यालय से संपर्क कर इस कार्य हेतु लागू किये गये नियम एवं शर्तों को देखा जा सकता है या गोड्डा जिला के वेबसाइट www.ecourts.gov.in/Godda पर देखा जा सकता है।

80/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा